रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062022-236636
CG-DL-E-16062022-236636

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 431] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 16, 2022/ज्येष्ठ 26, 1944
No. 431] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 16, 2022/JYAISTHA 26, 1944

## आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय

## (भूमि तथा विकास कार्यालय)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2022

**सा.का.नि. 452(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय स्टाफ कार ड्राईवर समूह 'ग' पद भर्ती नियम के जहां तक उसका संबंध स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-I) स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II) और स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, शहरी विकास मंत्रालय में स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अथार्त् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास मंत्रालय स्टाफ कार ड्राइवर समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2022 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **अर्जी.**—ये नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संखया, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**5.** **निरर्हता.—**वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**6.** **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**7.** **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियो के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान | चयन अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-I | 1*<br>(2022)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स का लेवल-5<br>(29200 - 92300) | अचयन | लागू नहीं होता। |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगीं या नहीं। | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो। | भर्ति की पद्धति –भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 |
| लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | प्रोन्नति द्वारा |

| प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हे तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 |
| **प्रोन्नतिः**<br>ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II) जिनकी श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा है जिसके न हो सकने पर ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-।।) जिनकी स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी- II) और स्टाफ कार ड्राइवर | समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगीः<br>1. भूमि तथा विकास अधिकारी - अध्यक्ष<br>2. उप भूमि तथा विकास अधिकारी - सदस्य | लागू नहीं होता। |

| | | |
|---|---|---|
| (साधारण श्रेणी) श्रेणियों में तेरह वर्ष की सम्मिलित सेवा है-<br>(क) जो इस प्रयोजन के लिए संचालित व्यवसायिक परीक्षण उतीर्ण है, पाठ्य विवरण निम्नानुसार हैः<br>(i) जो अंग्रेजी अंकों और आकृतियों को पढ़ने नें समर्थ हो;<br>(ii) जो यातायात विनियमों का अच्छा ज्ञान रखता हो;<br>(iii) जो पैट्रोल और डीजल इंजिन की कार्यकरण का अच्छा ज्ञान रखता हो और छोटी त्रुटियों को दूर करने में समर्थ हो;<br>(iv) जो कार्बयूरेटर, प्लग इत्यादि साफ करने में समर्थ हो<br>(ख) उपरोक्त (i) से (iv) पर आधारित प्रायोगिक परीक्षण।<br>**टिप्पण-** I जहां ऐसे कठिन व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तह जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहली ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।<br>टिप्पण-II प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन केलिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एस से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन | 3. अवर सचिव, शहरी तथा विकास मंत्रालय - सदस्य | |

| | | |
|---|---|---|
| पदों) पर, जिनके लिए ग्रेड वेतन बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थान ग्रेड हे, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II) | 1*<br>(2022)<br>कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय समूह 'ग' अपाजपत्रित अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स का लेवल-4 (25500 - 81100) | अचयन | लागू नहीं होता। |

| 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | प्रोन्नति द्वारा |

| 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|
| **प्रोन्नतिः**<br>ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणि) जिनकी श्रेणि में आठ वर्ष की नियमित सेवा है-<br>(क) जो इस प्रयोजन के लिए संचालित व्यवसायिक परिक्षण उतीर्ण है, पाठ्य विवरण निम्नानुसार हैः<br>(i) जो अंग्रेजी अंको और आकृतियों को पढ़ने में समर्थ हो;<br>(ii) जो यातायात विनियमों का अच्छा ज्ञान रखता हो;<br>(iii) जो पैट्रोल और डीजल इंजिन की कार्यकरण का अच्छा ज्ञान रखता हो और छोटी-त्रुटियों को दूर करने में समर्थ हो;<br>(iv) जो कार्बयूरेटर, प्लग इत्यादि साफ करने में समर्थ हो<br>(ख) उपरोक्त(i) से (iv) पर आधारित परीक्षण<br>**टिप्पण- I** जहां ऐसे कठिन व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहली ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।<br>**टिप्पण-2** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो | समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगीः<br>1. भूमि तथा विकास अधिकारी - अध्यक्ष<br>2. उप भूमि तथा विकास अधिकारी - सदस्य<br>3. अवर सचिव, शहरी तथा विकास मंत्रालय - सदस्य | लागू नहीं होता। |

| | | |
|---|---|---|
| गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर, जिनके लिए ग्रेड वेतन बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थान ग्रेड हे, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) | (2022)<br>कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय समूह 'ग' अपाजपत्रित अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स का लेवल-2 (19900 - 63200) | लागू नहीं होता। | 27 वर्ष से अधिक नहीं (रोजगार कार्यालय द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति या अनुसुचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)<br>**टिप्पण: 1** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्धाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) |

| 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|
| **आवश्यक:**<br>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन;<br>(ii) मोटर कार ड्राइविंग की वैध अनुज्ञप्ति हो;<br>(iii) मोटर का ड्राइविंग में तीन वर्ष का अनुभव<br>**टिप्पण:-** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए गये सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा मे तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।<br>**वांछनीय:** होम गार्ड या नागरिक स्वयं सेवक के रुप में तीन वर्ष सेवा का अनुभव। | लागू नहीं होता। | दो वर्ष | प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन या आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा |

| 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|
| **प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वाराः**<br><br>शहरी विकास मंत्रालय या उसके अधीनस्थ कार्यालयों के ऐसे नियमित सवार हरकारा या बहु कार्य कर्मचारिवृन्द जो मोटर कार चलाने क लिए उनकी सक्षमता के निर्धारण का ड्राइविंग परीक्षण के आधार पर मोटर कार के ड्राइविंग के लिए वैध अनुज्ञप्ति रखते हैं। जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में नियमित आधार पर सवार हरकारा या बहुकार्य कर्मचारीवृन्द जो स्तंभ(7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए धारित की जाने वाली वर्णित अर्हताएं रखते हैं।<br><br>भूतपूर्व सैनिको के लिएः<br><br>प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियोजनः<br><br>सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं है। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।<br><br>**टिप्पण-1** आनेदन प्राप्ति की तारीख की अंतिम तीरीख को प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा 56 वर्ष है।<br><br>**टिप्पण-2** प्रतिनियुक्ति आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक क्षेणी में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद(उनप पदों) पर जिनके लिए ग्रेड वेतन बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थान ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। | समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (आमेलन और पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगीः-<br><br>1.भूमि तथा विकास अधिकारी - अध्यक्ष<br><br>2. उप भूमि तथा विकास अधिकारी - सदस्य<br><br>3. अवर सचिव, शहरी तथा विकास मंत्रालय - सदस्य | लागू नहीं होता। |

[फा. सं. ए-12011/1/2022-प्रशा. (एल एण्ड डी ओ)/506]

डी.थारा, अपर सचिव (ए, एल एण्ड ई)

## MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

### (Land and Development Office)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2022

**G.S.R. 452(E).—**In exercise of the powers conferred by the proviso of the article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Driver in the Land and Development Office in the Ministry of Housing and Urban Affairs, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.—(**I) These rules may be called the Ministry of Housing and Urban Affairs, Land and Development Office, Staff Car Drivers (Group 'C') Recruitment Rules, 2022.

   (II)They shall come into force on the date of their publication in the Office Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.—**The number of the posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualification**.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in column 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,**--**

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

   Provide that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen other Backward Classes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### SCHEDULE

| **Name of post.** | **Number of post** | **Classification.** | **Level in the Pay Matrix.** | **Whether selection post or non-selection post.** |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. Staff Car Driver (Grade I) | 1* <br>(2022 <br>*Subject to variation dependent upon workload. | General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non-Ministerial. | Level in the Pay Matrix-5 <br>(29200-92300) | Non-selection. |

| **Age limit for direct recruits.** | **Educational and other qualifications required for direct recruits.** | **Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.** | **Period of probation, if any.** | **Method of recruitment, whether by direct recruitment of by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.** |
|---|---|---|---|---|
| **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. | B y promotion. |

| **In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grade from which promotion or deputation/absorption to be made.** | **If a departmental Promotion Committee exists, what is its Composition.** | **Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.** |
|---|---|---|
| **11** | **12** | **13** |
| **Promotion:**<br><br>Staff Car Driver (Grade II) with five years regular service in the grade failing which Staff Car Driver (Grade II) with thirteen years combined regular service in the grades of Staff Car Driver (Grade II) and Staff Car Driver (Ordinary Grade), Who passes-<br>(a) trade test to be conducted for this purpose, the syllabus for which shall be as follows:-<br>(i) must be able to read English numerals and figures;<br>(ii) must have good knowledge of traffic regulations;<br>(iii) must have good knowledge of petrol and diesel engine working and must be able to<br>(iv) rectify minor defects; must be able to clear carburetor, plug etc; and<br>(b) practical test based on (i) to (iv) above.<br>**Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less. and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. | Group ‘C’ Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of:<br>1. Land and Development Officer - Chairperson<br>2. Deputy Land and Development Officer (Incharge of Administration) - Member<br>3. Under Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs - Member | Not applicable. |

| | | |
|---|---|---|
| **Note 2:** For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on regular basis by an officer prior to 1st day of January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission. | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2. Staff Car Driver (Grade II) | 1*<br>(2022)<br>* Subject to variation dependent upon workload. | General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non-Ministerial. | Level in the Pay Matrix-4<br>(25500 - 81100) | Non-Selection. |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. | By promotion. |

| 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|
| **Promotion:**<br>Staff Car Driver (Ordinary Grade) with eight years regular service in the grade who passes-<br>(a) trade test to be conducted for this purpose, the syllabus for which shall be as follows:-<br>(i) must be able to read English numerals and figures;<br>(ii) must have good knowledge of traffic regulations;<br>(iii) must be able to locate faults and carry out minor repairs;<br>(iv) must be able to change and correctly inflate tyres; and<br>(b) Practical test based on (i) to (iv) above.<br>**Note** 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. | Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-<br>1. Land and Development Officer - Chairperson<br>2. Deputy Land and Development Officer (Incharge of Administration) - Member<br>3. Under Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs - Member | Not applicable. |

| | | |
|---|---|---|
| **Note 2:** For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on regular basis by an officer prior to 1st day of January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay scale extended based on the recommendations of the pay commission. | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. Staff Car Driver (Ordinary Grade). | 2*<br>(2022)<br>*Subject to variation dependent upon workload. | General Central Service<br>Group 'C' Non Gazetted,<br>Non-Ministerial. | Level in the Pay Matrix-2<br>(19900 - 63200) | Not applicable |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Not exceeding 27 years (Relaxable for Government servants up to the age of 40 year in case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Employment exchange).<br>**Note 1 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and state , Lahaul and spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). | **Essential Qualification:**<br>(i) Matriculation form a recognized Board;<br>(ii) possessing a valid driving licence for Motor-Car;<br>(iii) experience in driving a Motor-car for three years.<br>**Note:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Central Government, is of the opinion that sufficient number of candidates form these communities are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.<br>**Desirable:**<br>Three years service as Home Guard or Civil Volunteer. | Not applicable. | Two Years. | By deputation/re-employment or absorption, failing which by direct recruitment. |

| 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|
| **By Deputation/absorption:**<br>From amongst regular Despatch Riders and Multi Tasking Staff in the Ministry of Housing and Urban Affairs and its attached offices who possess valid driving licence for Motor Cars on the basis of a driving test to assess their competence to drive motor cars failing which from the officials holding the post of Despatch Riders on regular basis or regular Multi Tasking Staff in other Ministries of the Central Government who possess the qualification mentioned for direct recruits in column 7.<br>For Ex-servicemen:<br>Deputation/re-employment:<br>The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered and such persons shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment.<br>(The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department to the Central Government shall ordinarily not exceed three years)<br>**Note 1:** The maximum age-limit for deputation as on the closing date for receipt of applications is 56 years.<br>**Note 2:** For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st day of January, 2006 ( the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended), shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend for the post or posts for which the grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. | Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering absorption and confirmation)<br>consisting of:-<br>1. Land and Development Officer - Chairperson<br>2. Deputy Land and Development Officer (Incharge of Administration) - Member<br>3. Under Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs - Member | Not applicable. |

[F. No.A- 12011/1/2022-Admn (L&DO)/506]

D. THARA, AS(A, L&E)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.06.16 19:58:49 +05'30'